न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 90/2023
निर्णय दिनांक : 11.03.2024

ू तंवर पत्नी मोहनलाल खीची जाति सान्टीक, निवासी– ज्ञ–8 हाउसिंग बोर्ड 16/2 खाडिया नगर नाथ द्वारा राजसमन्द हाल निवासी ई 74, मंगलम ग्राड सिटी ग्राम महापुरा ह्सील सांगानेर जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

तर पुत्र भूराराम
ोकरण पुत्र भूराराम
नस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम नेवता तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.
जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर जिला जयपुर
ान

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया कि ारी व काब्जे हाश्त की कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नया 277 व पुराना खाता संख्या खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.8900 र, भूमि स्थित है जो कि ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र ाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित जो इस प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त है तथा अपने खातेदारी की भूमि पर बैहसियत खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी की खातेदारी त्तरी पूर्वी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 123 की खरूरा नम्बर 745/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि हाल सेग्रीगेशन के नक्शे में दर्शा दी है जिससे प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 0.8900 हैक्टेयर का हाल शा 0.8 हैक्टेयर छोटा हो गया है। कृषि भूमि के मूल खसरा नम्बर 745 रकबा 1.9500 टेयर था तथा उक्त खसरा नम्बर के रकबे के अनुसार वर्तमान नक्शा रहा है तथा मूल खसरा ाबर 745 के विभाजन के पश्चात नये खसरा नम्बर 7... रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/... रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

2/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर, बने जिसकी तरमीन विभाजन अनुसार लटठा नक्शा मे कर दी किन्तु सेग्रीगेशन के नक्शो मे उक्त खसरा नम्बर की तरमीन गलत कर खसरा नम्बर /2 प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2802/745 मे दर्शाया गया है जो विभाजन के लटठ नक्शे अनुसार नही दर्शाया गया तथा प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि के उत्तर पूर्व मे दर्शाया दिया जबकि खसरा नम्बर 745/2 लटठे नक्शे के अनुसार प्रार्थीया कृषि भूमि के उत्तरी पश्चिमी दिशा में अंकित है तथा तहसीलदार महोदय ने हाल सेग्रीगेशन मे मनमर्जी से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से बार बार परिवर्तन किया जा रहा दिनांक 29.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2, प्रार्थीया की खातेदारी कब्जेकाश्त की स्त भूमि खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर पर आये और अप्रार्थी संख्या 1 व खातेदारी मे दर्ज भूमि खसरा नम्बर 745/2 जिसकी किस्म बारानी है जो कि प्रार्थीया की ारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है र्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 745/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर पर र्थी संख्या 1 व 2 के साथ आये आठ दस व्यक्तियो ने हाल सेग्रीगेशन नम्बर के अनुसार ा की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 की भूमि पर बनी चार दीवारी को पर आमादा हो गये तथा हाल सेग्रीगेशन नक्शे के अनुसार ही विवादग्रस्त आराजी खसरा 745 व 745/1, 745/2, की कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचने व निर्माण कार्य पर आमादा हो गये तब प्रार्थीया द्वारा ऐतराज करने पर तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को यह कहा गया कि आप मेरी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि पर ना तो निर्माण कार्य कर है और नाही मेरी कब्जे काश्त की सम्पत्ति मे दखल दे सकते है तब प्रार्थीया ने अप्रार्थी 1 व 2 से यह भी कहा गया कि पहले हाल नक्शे को दुरूस्त करवा लो उसके पश्चात पनी कृषि भूमि किसी भी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देना जिस कारण उस समय तो संख्या 1 व 2 मीके से चले गये तथा जाते जाते प्रार्थीया को ऐलानिया धमकी दी की ल नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य कर बेचान करेगे। प्रार्थीया द्वारा अप्राथी संख्या 1 व दिनांक 29.09.2023 की धमकी के पश्चात प्रार्थीया द्वारा विभाजन का लटठा नक्शा व ग्रीगेशन के नक्शे की प्रति निकाली जिसकं पश्चात प्रार्थीया की जानकारी में आया की न के लटठे नक्शे के अनुसार हाल सेग्रीगेशन के नक्श मे तरमीन नही की गयी है प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर 2802/745 का रकबा कम हो गया है जिस उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। ऐसे में यह न्यायोचित एवं आवश्यकीय है र्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 की सीमा जो विभाजन के अनुसार नक्शे में दर्शायी गयी है उसी अनुसार हाल नक्शे ... जाये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 745 व 745/1 व 745/2 ... भी विभाजन के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पे गये लटठे नक्शे अनुसार दुरूस्त की जावे। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2802/745 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 745 व /1 व 745/2 का विभाजन के लटठे नक्शे अनुसार हाल राजस्व नक्शा नही बनाया गया ार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच आपसी विवाद बढने के पूर्ण सम्भावना है तथा र्थी संख्या 1 व 2 हाल नक्शा अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि खसरा 2802/745 रकबा 0.8900 हैक्टेयर पर कब्जा कर लेगे व प्रार्थीया की दीवार तोड देगे व दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे जिससे प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। ऐसे मे ा को यह पूर्ण अधिकार हासिल है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र कर राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र र नम्बर 1 मे किया गया है का हाल राजस्व नक्शा, (सेग्रीगेशन नक्शा) विभाजन के र लटठे नक्शे अनुसार बनाकर तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा 745 व 745/1 व 745/2 जो मूल खसरा नम्बर 745 से बने है को अप्रार्थी संख्या 1 व विभाजन के लटठे नक्शे अनुसार अंकित किया जावे ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा 2802/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदारी की भूमि हाल खसरा 745 रकबा 0.50 हैक्टेयर, व खसरा 745/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/2 0.07 हैक्टेयर की तरमीन विभाजन अनुसार नक्शे लटठे अनुसार हाल राजस्व नक्शा जाने की महती कृपा करे तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 0.8900 हैक्टेयर, के रकबा अनुसार हाल राजस्व नक्शा बनाये जाने की महती कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये दिनांक 13.02.2024 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण 1 व 2 बावजूद प्रेषित/परित र नोटिस दिनांक 19.10.2023 के उपस्थित नही हुए है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 रुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। कार्यालय उप तहसीलदार बगरू द्वारा एल0आर0/23/1014 दिनांक 12.09.2023 पत्रावली में रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार ार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नम्बर 745 का विभाजन होने से नये नम्वर 745 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा 745/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर बने जिसकी म विभाजन अनुसार नक्शा लट्टा में कर दी गयी थी सेग्रीगेशन के नक्शों में उक्त रा नम्बरान् की तरमीम गलत है। अतः खसरा नम्बर पूर्व नक्शा लट्टा तार किया जाना प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

प्रार्थीया की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने निवेदन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर रकबा 0.50 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 745/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/2 ा 0.07 हैक्टेयर की तरमीन विभाजन एवं नक्शे लट्ठे अनुसार हाल राजस्व नक्शा बनाये की महती कृपा करे तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 00 हैक्टेयर, के रकबा अनुसार हाल राजस्व नक्शा बनाये जाने की महती कृपा करे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । दौराने पत्रावली अवलोकन कार्यालय उप तहसीलदार बगरू का अवलोकन करने पर कि खसरा नम्बर 745 का विभाजन होने से नये खसरा नम्बर 745 रकबा 0.50 हैक्टेयर, ा नम्बर 745/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा 2802/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर बने जिसकी तरमीम विभाजन अनुसार नक्शा लट्टा में दी गयी थी परन्तु सेग्रीगेशन के नक्शों में उक्त खसरा नम्बरान् की तरमीम गलत है। दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम को ार किया जाकर राजस्व ग्राम नेवटा पटवार हल्का नेवटा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र वाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 745 का विभाजन होने से नये ा नम्बर 745 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 745/1 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा 745/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2802/745 रकबा 0.89 हैक्टेयर की तरमीन जन एवं नक्शे लट्ठे अनुसार हाल राजस्व नक्शा बनाये जाने के आदेश तहसीलदार नेर को दिये जाते है। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:29:08 IST
Reason: SelfAttested